न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या:–31/13

दायर दिनांक:–21.05.2013

निर्णय दिनांक :–07.01.2020

उनवान

1–घनश्याम पुत्र अमोलकचन्द जाति महाजन निवासी कस्बाथाना तहसील शाहाबाद

2–मोहनबाई पुत्री अमोलकचन्द जाति महाजन निवासी कस्बाथाना तहसील शाहाबाद

3–मुन्नीबाई पुत्री अमोलकचन्द जाति महाजन निवासी कस्बाथाना तहसील शाहाबाद –वादीगण

बनाम

1–कैलाश पुत्र जगनी जाति किराड निवासी कस्बाथाना तहसील शाहाबाद बांरा

2–लीलाधर पुत्र नामालुम जाति ब्राम्हण निवासी कस्बाथाना तहसील शाहाबाद बांरा

3–हरगोविन्द पुत्र बाबूलाल जाति नाई निवासी कस्बाथाना तहसील शाहाबाद बांरा

4–रामजीलाल पुत्र खेमू जाति माली निवासी कस्बाथाना तहसील शाहाबाद बांरा

5–कंचनलाल पुत्र अर्जुनलाल जाति किराड निवासी कस्बाथाना तह0 शाहाबाद –प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 188 आर. टी. एक्ट

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है–

ग्राम कस्बाथाना तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान में वादीगणगण के खाते एवं कब्जे कास्त की आराजी खसरा नम्बर 467 रकबा 0.03 बीघा स्थित है। यह आराजी आवादी के नजदीक आ जाने से प्रतिवादीगण जवरन ताकत के बल पर धमकी एवं भय दिखाकर वादीगण की विवादित आराजी पर कब्जा करने की धमकी देकर वादीगण को विवादित आराजी से अवैधानिक तरीके से बिना किसी अधिकार के बेदखल करने की धमकी दे रहे है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 9/5/13 को विवादित आराजी के कुछ भाग पर नीव खोदना चालू कर दिया है मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये वादी कम 1 ने पुलिस को सूचित किया जिस पर पुलिस मौके पर आई और दोनों पक्षों को थाने पर ले गई तथा दोनों पक्षों से कागजात मांगे। वादी कम 1 ने अपने खाते की पासबुक दे दी। प्रतिवादीगण के पास कुछ भी कागजात नही होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की गई इससे प्रतिवादीगण के हौसले बुलन्द हो गये हैं प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं वादीगण को बेदखल करने का प्रयास कर रहे है । विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का कोई हक या अधिकार नहीं है वादीगण विवादित आराजियात पर निर्वाध रूप से बहैसियत खातेदार कृषक काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 9/5/13 को गांव में सरेआम खुली ऐलानिया धमकी दी है कि वह विवादित आराजी से

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

होकर राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज होना पूर्णतः प्रमाणित होता है जिस पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का अवैध निमार्ण करने या अतिक्रमण कर वादीगण को बेदखल करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है इस तरह यह विवाधक बहक वादीगण खिलाफप्रतिवादीगण निर्णीत किया जाता है।

विवाधक संख्या 2 आया वादग्रस्त भूमि आबादी में होने से न्यायालय को श्रवणाधिकार नही है इस विवाधक को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा है लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से इस विवाधक को सावित करने के लिये किसी भी तरह की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है दूसरी ओर नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 से यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि वादीगण के खाते की है जो राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है इस तरह इस विवाधक को प्रतिवादीगण सिद्व करने में असफल हुए है अतः यह विवाधक प्रतिवादीगण के विरूद्व एवं वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम कस्बाथाना तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान में वादीगणगण के खाते एवं कब्जे कास्त की आराजी खसरा नम्बर 467 रकबा 0.03 बीघा से वादीगण को बेदखल न करें न ही अन्यों से करावें न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें न ही वादीगण की काश्त व्यवस्था में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करें। पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल मिशल किया जावे निर्णय आज दिनांक 7/1/20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)
शाहाबाद

Scanned by CamScanner